

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार तिवारी,  
मुख्य सचिव,  
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,  
उत्तर प्रदेश।

सूचना अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक: 22 सितम्बर, 2020

**विषय:- राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म दिवस, 02 अक्टूबर, 2020 को 'गांधी जयन्ती समारोह' मनाये जाने के सम्बंध में ।**

महोदय,

भारतीय स्वाधीनता आन्दोलन को नई दिशा और नई गति देने में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अप्रतिम योगदान है। सत्याग्रह तथा सविनय अवज्ञा आन्दोलन के माध्यम से उन्होंने सभी वर्गों में आजादी की लौ को प्रज्ज्वलित किया। देश की राजनैतिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक समरसता के माध्यम से महात्मा गांधी ने राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोकर सशक्त बनाने में अप्रतिम भूमिका का निर्वहन किया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म दिवस 02 अक्टूबर हमारे देश के उन सहस्रों जात व अज्ञात स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एवं क्रान्तिकारियों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का बेहतर अवसर है, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम की बलिबेदी पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। यह दिन हम सबको राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आदर्शों, सिद्धान्तों व उनके सद्विचारों को अपनाने के साथ ही उनके पदचिन्हों पर चलने का सुअवसर प्रदान करता है।

2- उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पूर्व की भांति इस वर्ष भी 02 अक्टूबर, 2020 को 151वें गांधी जयन्ती समारोह को वैश्विक कोरोना-19 महामारी से बचाव के लिए केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों जैसे-मास्क/फेस कवर प्रयोग, सेनेटाइजेशन व सोशल डिस्टेंसिंग आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए सम्मानपूर्वक आयोजित किये जायेंगे। इस अवसर पर प्रस्तावित कार्यक्रमों की एक रूपरेखा नीचे दी जा रही है। स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इसमें यथोचित परिवर्तन/परिवर्द्धन करने के लिए आप सक्षम हैं और इसमें ऐसे अन्य कार्यक्रम भी सम्मिलित कर सकते हैं जो इस अवसर के लिए उपयुक्त हों। प्रस्तावित कार्यक्रम निम्नानुसार है :-

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेबसाइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- (क) सभी राजकीय भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाये।
- (ख) सभी कार्यालयों, विद्यालयों और दूसरी संस्थाओं के किसी बड़े कक्ष या हाल में किसी वरिष्ठ अधिकारी, प्रधानाचार्य या अध्यक्ष द्वारा प्रातः 9:00 बजे महात्मा गांधी के एक बड़े चित्र का अनावरण व माल्यार्पण किया जाये और उसके बाद गांधी जी के जीवन-संघर्ष, उनकी देश-सेवा, उनके जीवन-मूल्यों पर प्रकाश डाला जाये। विशेष रूप से निर्बलों एवं कमजोरों के कल्याण सम्बन्धी "अन्त्योदय" की उनकी अवधारणा, भावनात्मक एकता, राष्ट्रीय एकता एवं अखण्डता के सम्बन्ध में उनके विचारों का संक्षेप में परिचय दिया जाये।
- (ग) स्कूलों और कालेजों में गांधीवादी जीवन-दृष्टि का प्रचार तथा गांधी जी के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर विद्यार्थियों की वाद-विवाद प्रतियोगिता एवं गोष्ठी ऑनलाइन आयोजित की जाये, जिसमें जातिगत भेद-भाव से ऊपर उठकर समाज में समता और समरसता लाने पर बल दिया जाये। मानवाधिकारों की सुरक्षा तथा निर्बलों के उत्पीड़न को समाप्त करने और सामाजिक न्याय की अवधारणा एवं उसकी आवश्यकता की पूर्ति हेतु शासन की प्रतिबद्धता से जन-साधारण को अवगत कराया जाये।
- (घ) महिलाओं की उन्नति के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा बताये गये मार्ग का अनुकरण करने, बालिका-शिक्षा के प्रसार, दहेज-प्रथा की समाप्ति तथा महिलाओं को आर्थिक-सामाजिक क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर देने और सामाजिक चेतना पैदा करने के लिए महिला सशक्तीकरण के उद्देश्य से जन-सामान्य, विशेषकर महिलाओं को भिन्न कराने हेतु प्रभावी अभियान चलाया जाये। राज्य सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्म निर्भर बनाने के लिए "30प्र0 राजस्व संहिता-2016" के प्राविधानों में संशोधन करके अविवाहित पुत्रियों को भी कृषि भूमि पर वारिसाना हक प्रदान किया गया है। अविवाहित पुत्री के विवाह कर लेने की स्थिति में भूमि पर मिला अधिकार उसके पति को न जाकर भूमिधर के परिवार के निकटतम उत्तराधिकारी को पूर्ववत् व्यवस्थाओं के अधीन प्राप्त हो जायेगा।
- (ङ) राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की ग्राम स्वराज्य की अवधारणा के अनुसार गांवों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने तथा मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराने के साथ ही ग्रामवासियों में सच्चरित्रता, सादगी तथा स्वावलम्बन की भावना उत्पन्न की जाये। इस दिशा में शासन की पारदर्शी नीति और इस सम्बन्ध में किये गये अभिनव एवं सार्थक प्रयासों से भी जन साधारण को अवगत कराया जाये।
- 3- राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाये गये स्वाधीनता आन्दोलन, उत्तर प्रदेश में उसके व्यापक प्रभाव, उनके महान व्यक्तित्व द्वारा किये गये रचनात्मक कार्यक्रमों, स्वदेशी आन्दोलन, नमक सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह, आदि पर प्रकाश डाला जाये।

---

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।  
 2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेबसाइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- 4- 'सादा जीवन उच्च विचार', मितव्ययिता, नैतिकता, भाईचारा तथा सर्वधर्म सम्भाव जैसे आदर्श जीवन मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा दी जाये। उन्हें यह भी बताया जाये कि देश को कमजोर करने वाली शक्तियों से सावधान रहते हुए राष्ट्रीय अस्मिता की रक्षा करना उनका पुनीत कर्तव्य है, जिसका संकल्प आज के दिन दोहराया जाना चाहिए।
- 5- 'पंचायती राज' को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी लोकतंत्र की बुनियादी इकाई मानते थे। इन संस्थाओं की स्वायत्तता और स्वावलम्बन का सपना साकार करने के लिए प्रदेश सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। उन निर्णयों से जन-साधारण को अवगत कराते हुए बताया जाये कि पंचायतें ग्रामीण विकास तथा 'ग्राम-स्वराज्य' के नये मार्ग प्रशस्त करेंगी। अब गांवों के विकास कार्यक्रमों में गांवों के नागरिकों, मुख्यतः महिलाओं एवं निर्बल वर्ग के सदस्यों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जायेगी।
- 6- पंचायतों, सार्वजनिक संस्थाओं तथा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारों में आस्था रखने वाली स्वयंसेवी संस्थाओं की सहायता से रचनात्मक कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के साथ ही समरसता, सद्भाव और सहयोग पर आधारित आदर्श समाज की संरचना की आवश्यकता को रेखांकित किया जाये। धर्म, जाति, रंग आदि सभी भेदभावों को मिटाकर विभिन्न सम्प्रदायों के लोगों में पारस्परिक सद्भाव, एकता तथा सहयोग बढ़ाने वाली चेतना विकसित करने के लिए जन-सहभागिता के आधार पर उचित वातावरण तैयार करने का हर सम्भव प्रयास किया जाये।
- 7- अपराधमुक्त, अन्यायमुक्त एवं भयमुक्त, वातावरण सृजित करने के साथ ही कानून व्यवस्था पर जीरो टालरेंस की नीति पर चलते हुए कानून का राज स्थापित करने तथा संवेदनशील एवं स्वच्छ प्रशासन देने के प्रयासों से आम जनता को अवगत कराया जाये।
- 8- विकास सम्बंधी शासन की प्राथमिकताओं से जनमानस को अवगत कराते हुए उन्हें अपेक्षित योगदान के लिए प्रेरित किया जाए। साथ ही बेहतर वातावरण पैदा करके स्वच्छ प्रशासन देने के प्रयासों से आम जनता को अवगत कराया जाए।
- 9- प्रदेश की वर्तमान सरकार का लक्ष्य है- लोक संकल्प पत्र के अनुसार जन आकांक्षाओं की पूर्ति तथा राज्य का समग्र विकास। राज्य सरकार "सबका साथ-सबका विकास, एवं सबका विश्वास" के आधार पर सभी वर्गों की उन्नति, कल्याण एवं सर्वांगीण विकास हेतु कृत-संकल्पित है।

वर्तमान सरकार के साढ़े तीन वर्ष के कार्यकाल के दौरान विभिन्न ऐतिहासिक निर्णयों एवं विकासपरक तथा जनकल्याणकारी कार्यक्रमों द्वारा उठाये गये कदमों से स्पष्ट है कि सरकार प्रदेश के आमजन के विकास, उनकी सुरक्षा और प्रभावी कानून व्यवस्था के लिए संवेदनशील एवं कृतसंकल्प है। राज्य सरकार वैश्विक कोरोना महामारी की श्रृंखला तोड़ने के लिए सभी उपाय कर रही है। इसके साथ ही इस आपदा का डटकर मुकाबला किया जा रहा है और विकास की गति को भी धीमी नहीं होने दिया गया है। राज्य सरकार ने इस

---

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।  
 2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेबसाइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

अप्रत्याशित संकट को अवसर में बदलते हुए जन सरोकार के कार्यों को पूरी दृढ़ता के साथ लागू कर रही है और महामारी से निपटने के लिए छोड़ी गई जंग में अन्य राज्यों से आगे है। इसी क्रम में प्रदेश सरकार द्वारा समाज के विभिन्न वर्गों के हित तथा राज्य के समग्र विकास के लिए संचालित महत्वपूर्ण योजनाओं एवं कार्यक्रमों, जिनका “संलग्नक परिशिष्ट” में उल्लेख किया गया है, के संबंध में जनसाधारण को अवगत कराया जाय।

यह देश सभी धर्मों और सम्प्रदायों में पारस्परिक सद्भावना व एकता से ही प्रगति कर सकता है। प्रदेश में शांति एवं सद्भाव का वातावरण सृजित करने के लिए इस अवसर पर कोविड-19 के बचाव हेतु भारत सरकार व प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन करते हुए जनमानस की सहभागिता सुनिश्चित की जाये और लोगों को जागरूक भी किया जाए।

संलग्नक:-परिशिष्ट

राजेन्द्र कुमार तिवारी  
मुख्य सचिव,

**संख्या-13/2020/741/उन्नीस-2-2020-1084/85 तद्दिनांकित**

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रदेश के मा0 उप मुख्यमंत्री/समस्त मा0 मंत्री/ मा0 राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)/ मा0 राज्य मंत्रीगण के निजी सचिवों को मंत्री महोदय के सूचनार्थ।
2. समस्त महापौर, अध्यक्ष, नगरपालिका परिषद एवं अध्यक्ष, नगर पंचायत।
3. समस्त अध्यक्ष, जिला पंचायत, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
5. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. समस्त मण्डलायुक्त/विभागाध्यक्ष तथा कार्यालयों के प्रमुख अधिकारीगण।
7. समस्त उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण 30प्र0।
8. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9. समस्त नगर आयुक्त तथा नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारीगण।
10. राज्य सम्पत्ति अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
11. सचिवालय प्रशासन (विविध) अनुभाग-1/सामान्य प्रशासन विभाग।
12. गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,

अवनीश कुमार अवस्थी  
अपर मुख्य सचिव

- 
1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
  2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेबसाइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

## परिशिष्ट

प्रदेश सरकार द्वारा समाज के विभिन्न वर्गों के हितों तथा राज्य के समग्र विकास के लिये संचालित महत्वपूर्ण योजनायें एवं कार्यक्रम:-

### 1. जनसमस्या निवारण:-

जन समस्याओं के तेजी से निस्तारण हेतु प्रभावी व्यवस्था की गयी है। मा0 मुख्यमंत्री जी के सरकारी आवास पर आयोजित "जनता दर्शन" में प्रदेश के कोने-कोने से आये पीड़ितों /शिकायतकर्ताओं की समस्याओं की सुनवाई करके उसका प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित किया जाता है। इसके अलावा इन्टीग्रेटेड ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम (आई.जी.आर.एस.) के तहत प्राप्त कुल 2,53,01,797 संदर्भों में से 2,49,05,544 मामलों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया गया। तहसीलों में 'सम्पूर्ण समाधान दिवस' का आयोजन करते हुए प्राप्त शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही आम जनता एवं अधिकारियों के मध्य सीधा संवाद स्थापित करते हुए प्रतिदिन जनसमस्याओं का अनुश्रवण एवं निस्तारण किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा शुभारम्भ किये गये मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 पर जन शिकायतों का त्वरित निस्तारण हो रहा है।

### 2. आस्था को नमन:-

- (1) प्रदेश के गंगा किनारे स्थित 27 जिलों में गंगा यात्रा का आयोजन हुआ, इसमें गंगा आरती, गंगा पूजन तथा अन्य सांस्कृतिक व विकास कार्यक्रमों की गतिविधियों से आम जनमानस को अवगत कराया गया।
- (2) वाराणसी में वैदिक साइंस सेन्टर की स्थापना। काशी में देव दीपावली का आयोजन भव्य रूप से सम्पन्न।
- (3) अयोध्या में राम की पैड़ी पर 404226 दीप जलाकर दीपोत्सव का आयोजन हुआ, जो गिनीजवल्ड रिकार्ड में शामिल।
- (4) सिंधु दर्शन तीर्थ यात्रियों को अनुदान राशि ₹0 10,000 से बढ़ाकर 20,000 किया गया। श्री कैलाश मान सरोवर तीर्थ यात्रियों का अनुदान ₹0 50 हजार से बढ़ाकर 01 लाख प्रति व्यक्ति किया गया। मथुरा में कृष्णोत्सव का आयोजन।
- (5) अयोध्या में भगवान श्रीराम की प्रतिमा की स्थापना के साथ डिजिटल म्यूजियम, इन्टरप्रेटेशन सेन्टर, भजन संध्या स्थल, लाइब्रेरी पार्किंग, फूड प्लाजा, लैण्ड स्केपिंग आदि का कार्य।
- (6) जनपद सीतापुर में नैमिषारण्य स्थित देव-देवेश्वर एवं करौना स्थित द्वारिकाधीश मंदिर का विकास कार्य प्रगति पर।
- (7) काशी विश्वनाथ कॉरीडोर के विकास का कार्य प्रगति पर। काशी विश्वनाथ मंदिर विस्तारीकरण/सुन्दरीकरण योजना द्वितीय चरण का कार्य प्रगति पर।

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेबसाइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- (8) वाराणसी में सांस्कृतिक केन्द्र की स्थापना।
- (9) कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुए डिजिटल प्लेटफार्म सोशल मीडिया के माध्यम से पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम एवं यूट्यूब पर प्रतियोगिता आयोजित कर उत्तर प्रदेश के पर्यटक स्थलों का प्रचार-प्रसार।

### 3. कानून व्यवस्था:-

- (1) अपराधमुक्त, अन्यायमुक्त एवं भयमुक्त वातावरण सृजित कर कानून का राज स्थापित करने के लिए राज्य सरकार कटिबद्ध है। प्रदेश में कानून व्यवस्था सुदृढ़ कर जनमानस में सुरक्षा की भावना पैदा करना और अपराधियों के अन्दर कानून के प्रति भय का वातावरण सृजित करना 30प्र0 शासन की प्राथमिकता है।
- (2) राज्य सरकार ने कानून व्यवस्था पर जीरो टालरेन्स की नीति अपनाई है।
- (3) अपराधों पर पूर्ण नियंत्रण से सभी प्रमुख त्यौहार मेले आदि सकुशल सम्पन्न। सोशल मीडिया की सक्रियता से भी अपराधों पर नियंत्रण।
- (4) प्रदेश में बढ़ रहे साइबर अपराधों की रोकथाम हेतु साइबर क्राइम थाना लखनऊ व गौतमबुद्धनगर के अलावा 16 परिक्षेत्रीय मुख्यालयों पर एक-एक साइबर क्राइम थाने की स्थापना।
- (5) पुलिस के सशक्तीकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए जनपद लखनऊ एवं गौतमबुद्धनगर में पहली बार पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू। जिससे कानून एवं शांति व्यवस्था में उल्लेखनीय सुधार।
- (6) महिला सशक्तीकरण के उद्देश्य से प्रचलित पावर एजेण्ट योजना अन्तर्गत प्रदेश में अब तक लगभग 15000 पावर एजेण्ट बनाये गये। प्रदेश में महिलाओं तथा बालिकाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एण्टी रोमियो स्क्वायड का गठन कर संवेदनशील स्थलों की चेकिंग करना, विमेन पावर लाइन 1090 योजना का सुचारू क्रियान्वयन, यू0पी0 112 इण्डिया मोबाइल एप, रात्रि के दौरान सुरक्षा कवच योजना, महिला हेल्प डेस्क, थानों एवं महत्वपूर्ण स्थानों पर महिला उत्पीड़न संबंधी शिकायतों का निस्तारण किया जा रहा है।
- (7) 567 बंदियों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करायी गयी तथा कारागारों में लोक अदालतों का आयोजन कर इनके माध्यम से 2451 बंदियों को रिहाई का लाभ प्राप्त हुआ।
- (8) प्रदेश के कारागारों में बंदियों द्वारा संचालित जेल रेडियो स्थापित। वर्तमान में 26 जेलों में जेल रेडियो सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं।
- (9) कोविड-19 के दौरान राज्य सरकार द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों को तत्परता एवं दृढ़ता से 30प्र0 पुलिस द्वारा तत्काल अनुपालन सुनिश्चित कराया गया। कोरोना संक्रमण की विषम परिस्थितियों के दृष्टिगत पूर्ण मनोयोग एवं संवेदनशीलता के

---

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेबसाइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

साथ शासन स्तर से प्राप्त निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करते हुए पुलिस द्वारा अभूतपूर्व कार्यवाही की गई।

- (10) लाँकडाउन के दौरान 37.68 लाख से अधिक श्रमिकों/लोगों को अन्य प्रदेशों से 30प्र0 में सकुशल वापस लाया गया।
- (11) कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत पुलिस मुख्यालय द्वारा जनपदों एवं इकाइयों को 17.09 करोड़ रुपये की धनराशि से साफ-सफाई, सुरक्षात्मक उपकरण यथा मास्क, सेनेटाइजर, आईसीएमआर से स्वीकृत पीपीई किट आदि इयूटी के दौरान उपलब्ध कराये गये।
- (12) हड़ताल, बन्द, दंगों, लोक अशांति के दौरान सार्वजनिक स्थलों पर हिंसात्मक कार्य करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही तथा लोक एवं निजी सम्पत्ति की क्षति की वसूली के लिए दावा अधिकरण का गठन।
- (13) लखनऊ के 12 मण्डलों एवं मेरठ के 06 मण्डलों से संबंधित दावा याचिकाओं का निस्तारण इनके द्वारा किया जायेगा।
- (14) लोक एवं निजी सम्पत्ति के क्षति की वसूली की कार्यवाही भू-राजस्व के बकाये के रूप में की जायेगी।

#### 4. उद्योग:-

- (1) निवेश को प्रोत्साहित करते हुए अधिक से अधिक रोजगार के अवसर सुलभ कराने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर्स समिट-2018 का सफल आयोजन। देश-विदेश के शीर्ष निवेशकों, उद्योगपतियों द्वारा प्रदेश में विभिन्न उद्योगों की स्थापना के लिए 4.68 लाख करोड़ रुपये के निवेश सम्बन्धी एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित। प्रथम ग्राउण्ड ब्रेकिंग सेरेमनी के दौरान 60 हजार करोड़ रुपये से अधिक की 81 परियोजनाओं का शिलान्यास देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के करकमलों द्वारा किया गया। द्वितीय ग्राउण्ड ब्रेकिंग सेरेमनी में लगभग 65 हजार करोड़ रुपये की 200 से अधिक परियोजनाओं की आधारशिला रखी गयी। परियोजनाओं की स्थापना का कार्य प्रगति पर।
- (2) कोविड-19 के दौरान 36 नये निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए इसमें 19 विदेशी कम्पनियां शामिल हैं, इससे लगभग 7500 करोड़ रुपये का निवेश आएगा।
- (3) इज आफ इडिंग बिजनेस के तहत बिजनेस रिफार्म एक्शन प्लान लागू। वर्ष 2019 की इज आफ इडिंग बिजनेस की रैंकिंग में 30प्र0 ने पूरे देश में द्वितीय स्थान प्राप्त किया। सिंगिल विण्डो निवेश मित्र वेब पोर्टल सृजित। तत्काल अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु ऑन लाइन व्यवस्था।
- (4) बुन्देलखण्ड में 20 हजार करोड़ रुपये के निवेश से डिफेन्स मैनुफैक्चरिंग कार्रिडोर की स्थापना का कार्य शुरू। 2.5 लाख से अधिक लोगों के लिए सृजित होंगे रोजगार।

---

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेबसाइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- (5) एक जनपद-एक उत्पाद योजनान्तर्गत उत्पाद विशेष के समग्र विकास हेतु इस वर्ष 4268 लाभार्थियों को 10670 लाख रुपये मार्जिन मनी वितरित की जा रहा है। मार्जिन मनी योजना, प्रशिक्षण एवं टूलकिट योजना, विपणन सहायता योजना तथा कॉमन फैसिलिटी सेन्टर योजना संचालित, जिसके तहत 2040 लाख रुपये का ऋण इकाइयों को वित्त पोषण हेतु उपलब्ध कराया गया।
- (6) विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना लागू। प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के पारम्परिक कारीगरों, बढ़ई, दर्जी, टोकरी बुनकर, नाई, सोनार, लोहार, कुम्हार, हलवाई आदि पारम्परिक हस्तशिल्पियों के प्रोत्साहन, संवर्द्धन तथा उनकी आय में वृद्धि के अवसर सुलभ कराने हेतु इस वर्ष 20,000 कारीगरों को लाभान्वित किया जा रहा है।
- (7) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत इस वर्ष 3429 इकाइयों की स्थापना हेतु ₹0 10287 लाख मार्जिन मनी वितरित करने की व्यवस्था। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत इस वर्ष 5002 इकाइयों की स्थापना कराने हेतु ₹0 9700 लाख की धनराशि स्वीकृत।
- (8) मुख्यमंत्री हस्तशिल्प पेंशन योजना के अन्तर्गत 60 वर्ष से अधिक आयु के पात्र हस्तशिल्पियों को 500 रुपये प्रतिमाह पेंशन का प्राविधान। 1337 हस्तशिल्पियों को पेंशन प्रदान की गई।

#### 5. सूचना प्रौद्योगिकी:-

- (1) सरकार द्वारा नयी उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2020 अधिसूचित। नोएडा, ग्रेटर नोएडा तथा यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र, इलेक्ट्रानिक मैनुफैक्चरिंग जोन तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के अनुकूल वातावरण बना। इलेक्ट्रानिक विनिर्माण के क्षेत्र में ₹0 20,000 करोड़ के निवेश लक्ष्य पूर्ण और 03 लाख व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसर सृजित।
- (2) विदेशी कम्पनियों हेतु ग्रेटर नोएडा में 100 एकड़ क्षेत्र में एक इलेक्ट्रानिक मैनुफैक्चरिंग क्लस्टर विकसित।
- (3) 150 करोड़ रुपये के निवेश एवं करीब 15 हजार रोजगार संभावनायुक्त मेरठ, आगरा, गोरखपुर, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ तथा बरेली में आईटी पार्क की स्थापना की जा रही है।
- (4) 30प्र0 स्टार्टअप नीति-2020 उद्घोषित। इसके तहत प्रत्येक 10,000 स्टार्टअप की स्थापना के अनुकूल इकोसिस्टम का सृजन तथा प्रत्येक जिले में कम-से-कम एक इन्क्यूबेटर की स्थापना किया जाना परिलक्षित है। लखनऊ में 40 एकड़ भूमि पर आईटी पार्क और देश के सबसे बड़े इन्क्यूबेटर की स्थापना की कार्यवाही प्रगति पर।
- (5) स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा तथा उद्यमिता प्रोत्साहन के लिए 18 इन्क्यूबेटरस कार्यरत। प्रदेश में 2850 से अधिक स्टार्टअप इकाइयां कार्यरत।

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेबसाइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।



- (6) आईटी सिटी लखनऊ में 485 करोड़ के निवेश से कौशल विकास केन्द्र की स्थापना। इसमें अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण प्रदान करने की व्यवस्था है, जिसमें लगभग 4000 साफ्टवेयर कर्मी एवं विकासकर्ता कार्यरत हैं।
- (7) मुख्यमंत्री हेल्पलाइन योजना के तहत 500 सीटों का एक काल सेन्टर लखनऊ में स्थापित, जिसमें वृहद रूप से कोविड-19 हेल्पलाइन के रूप में कार्य किया जा रहा है।

#### 6. जीएसटी :-

- (1) वर्ष 2020-21 का वार्षिक लक्ष्य ₹ 91568 करोड़। माह अगस्त 2020 तक ₹ 23791.54 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ, जो गत वर्ष के सापेक्ष 4 प्रतिशत अधिक है।
- (2) कोविड-19 के कारण प्रदेश में ₹ 5 करोड़ से कम टर्नओवर के व्यापारियों के लिए यह तिथि अगले माह की 24 तारीख के स्थान पर माह मार्च हेतु 05 जुलाई, अप्रैल हेतु 08 जुलाई, मई हेतु 15 सितम्बर, जून हेतु 25 सितम्बर व जुलाई हेतु 29 सितम्बर तथा अगस्त हेतु 03 अक्टूबर विस्तारित की गई है।
- (3) प्रदेश में व्यापार कर, बिक्री कर, वैट व मनोरजन कर के अधिनियम के अन्तर्गत सृजित मांग की अवशेष बकाया जमा हेतु ब्याज/अर्थदण्ड माफी योजना-2020 लागू की गयी है जिसे कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थितियों के दृष्टिगत 31 अक्टूबर 2020 तक बढ़ा दिया गया है, ताकि अधिक से अधिक व्यापारी योजना से लाभान्वित हो सकें।

#### 7. किसानों के हितार्थ ऐतिहासिक फैसले:-

- (1) प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अन्तर्गत माह अगस्त 2020 तक कुल 232.23 लाख किसानों को छः किशतों में 21888.85 करोड़ रुपये की धनराशि डीबीटी के माध्यम से कृषकों के खातों में हस्तान्तरित।
- (2) राज्य सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए 45.23 लाख लघु एवं सीमान्त कृषकों को 25233.48 करोड़ रुपये का फसली ऋण मोचन किया।
- (3) कृषि निवेशों पर देय अनुदान को डीबीटी के माध्यम से भुगतान करने वाला देश में उत्तर प्रदेश पहला राज्य बना। किसान अपना उत्पाद देश की किसी भी मण्डी में बेचने के लिए स्वतंत्र।
- (4) प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के अन्तर्गत माह अगस्त, 2020 तक 2,48,783 लाभार्थियों को कार्ड उपलब्ध कराया गया।
- (5) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत 185.14 लाख किसानों को खरीफ एवं रबी में फसल बीमा करते हुए 1835.39 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति की गयी।

---

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेबसाइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- (6) बुन्देलखण्ड क्षेत्र में सिंचन क्षमता बढ़ाने के लिए खेत-तालाब योजनान्तर्गत कुल 13692 खेत-तालाबों का निर्माण।
- (7) मा0 मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में किसान समृद्धि आयोग का गठन।
- (8) वर्ष 2020-21 के खरीफ में माह अगस्त 2020 तक 30764.23 करोड़ रुपये फसली ऋण का वितरण किया गया। इस प्रकार अद्यतन कुल 306835.32 करोड़ रुपये फसली ऋण वितरित।
- (9) प्रदेश सरकार द्वारा यूरिया उर्वरक से ए.सी.टी.एन टैक्स समाप्त कर किसान हित में यूरिया की दरों को अन्य प्रदेशों के समान किया गया। वर्ष 2020-21 खरीफ में 47.93 लाख मी0 टन उर्वरकों की उपलब्ध सुनिश्चित कराते हुए 35.42 लाख मी0 टन उर्वरकों का वितरण कराया गया। इस प्रकार अद्यतन कुल 263.04 लाख मी0टन उर्वरकों का वितरण।
- (10) सोलर पम्प स्थापना हेतु 2 व 3 हार्सपावर के पम्प पर 70 प्रतिशत व 5 हार्सपावर पर 40 प्रतिशत अनुदान अनुमन्य। प्रदेश में 19498 सोलर पम्प स्थापित।
- (11) भारत सरकार के अध्यादेश दिनांक 05 जून, 2020 के तहत मण्डी परिसरों के बाहर के व्यापार को पूरी तरह लाइसेन्स व मण्डी शुल्क से मुक्त कर दिया गया है। इससे किसान अपना सामान कहीं भी और किसी भी व्यापारी को तत्काल बेच सकते हैं।
- (12) कोरोना काल के दौरान फल एवं सब्जियों के किसानों के हित में 45 कृषि जीन्सों को गैर अधिसूचित कर मण्डी शुल्क समाप्त कर दिया गया है।

#### 8. गन्ना किसानों को सुविधाएं:-

- (1) वर्तमान सरकार द्वारा अब तक 47.22 लाख गन्ना किसानों को 105296 करोड़ रुपये से अधिक का रिकार्ड गन्ना मूल्य भुगतान।
- (2) सरकार द्वारा पहली बार गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य के त्वरित भुगतान हेतु चीनी मिलों को सरल ब्याज पर ऋण देने हेतु चीनी उपक्रमों-2018 को वित्तीय सहायता दिए जाने की योजना घोषित। इस हेतु 04 हजार करोड़ रुपये के ऋण का प्राविधान किया गया, जिसके तहत 53 चीनी मिलों को 2916 करोड़ रुपये के ऋण का भुगतान किया गया।
- (3) औसत गन्ना उत्पादकता 72.38 से 81.10 मी0टन प्रति हे0 बढ़ जाने से प्रति हेक्टेयर 8.12 मी0टन अतिरिक्त गन्ने का उत्पादन। किसानों की आय में औसत 320 रुपये प्रति कुन्तल की दर से 27904 रुपये प्रति हे0 की बढ़े उत्पादन के फलस्वरूप वृद्धि।
- (4) दो पेराई सत्रों में चीनी परता में 0.85 की वृद्धि हुई। औसत चीनी परता में वृद्धि से 8.92 लाख टन अतिरिक्त चीनी का उत्पादन हुआ।

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेबसाइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- (5) गत वर्षों में प्रदेश की मिलों ने रिकार्ड 3262 लाख टन गन्ने की पेराई कर रिकार्ड 365 लाख टन चीनी का उत्पादन किया गया, जो देश के कुल चीनी उत्पादन का 47 प्रतिशत है। यह पेराई एवं चीनी उत्पादन कर उत्तर प्रदेश देश में लगातार तीसरी बार प्रथम स्थान पर।
- (6) बन्द पड़ी चीनी मिल पिपराइच (गोरखपुर) एवं मुण्डेरवा (बस्ती) के स्थान पर 5000 टी0सी0डी0 की नई चीनी मिले और 27 मेगावाट क्षमता की बिजली उत्पादन संयंत्र की स्थापना।
- (7) कोविड-19 के अन्तर्गत कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु प्रदेश के 91 चीनी मिलों द्वारा सेनेटाईजर का उत्पादन करने के लिए सरकार ने लाइसेंस दिए। मिलों द्वारा प्रतिदिन 5,98,000 ली0 से अधिक सेनेटाईजर का उत्पादन किया जा रहा है। उत्पादित सेनेटाईजर का प्रदेश सहित देश के अन्य प्रदेशों में भी निर्यात किया जा रहा है।

#### 9. खाद्य एवं रसद विभाग -

- (1) कोविड-19 महामारी के फैलाव से बचाव हेतु लॉकडाउन के दौरान गरीब, मजदूर श्रमिक, कामगार आदि परिवारों को खाद्यान्न की कमी न हो, इस हेतु भारत सरकार के निर्देशानुसार प्रदेश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में आच्छादित लाभार्थियों को माह अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त 2020 में नियमित वितरण के अतिरिक्त प्रति यूनिट 05 किलोग्राम चावल तथा प्रति परिवार को 01 किलोग्राम चना निःशुल्क दिया जा रहा है। इस योजनान्तगत अब तक 35 लाख मी0टन से अधिक खाद्यान्न एवं 1.35 लाख मी.टन चना वितरित।
- (2) कोविड-19 महामारी के दौरान आत्मनिर्भर भारत योजना के अन्तर्गत 11889 मी0टन खाद्यान्न एवं 1061 मी0टन चना वितरित।
- (3) प्रदेश के समस्त नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में अन्तःजनपदीय राशन कार्ड पोर्टबिलिटी तथा 'वन नेशन वन राशन' कार्ड योजना के अन्तर्गत प्रदेश में नेशनल पोर्टबिलिटी की सुविधा लागू। जिसके अन्तर्गत माह मई 2020 से अगस्त 2020 तक अन्य राज्यों के 1503 राशन कार्डधारकों द्वारा 30प्र0 से तथा उत्तर प्रदेश के 1223 कार्डधारकों द्वारा अन्य राज्यों से अपना खाद्यान्न प्राप्त किया गया है।
- (4) कोविड-19 महामारी के दौरान राशन कार्ड एवं खाद्यान्न से वंचित पात्र लाभार्थियों को अगस्त 2020 तक 1035391 राशन कार्ड एवं खाद्यान्न वितरित किया गया।
- (5) मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत 1925 रुपये प्रति कुन्तल गेहूँ का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करते हुए रबी विपणन वर्ष 2020-21 के दौरान गेहूँ खरीद के लिए 5831 क्रय केन्द्रों पर कुल 35.76 लाख मी0टन गेहूँ खरीद की गई। 663810 किसानों को 6884.05 करोड़ रुपये का भुगतान सीधे किसानों के खातों में किया

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेबसाइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

गया। वर्ष 2019-20 में 706549 किसानों से लक्ष्य से अधिक 56.57 लाख मी0टन धान खरीद कर ₹0 10274.25 करोड़ का भुगतान सीधे किसानों के खाते में किया गया।

- (6) कोविड-19 के चलते लॉकडाउन की अवधि में उज्ज्वला योजना के 1,46,12,810 उपभोक्ताओं को माह अप्रैल से अब तक निःशुल्क रसोई गैस सिलेन्डर की आपूर्ति की गई।

#### 10. नगर विकास:-

- (1) प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिए आवास (शहरी) मिशन के तहत शहरी क्षेत्र में आवास विहीन लोगों के लिए भारत सरकार द्वारा 16,03,502 आवास स्वीकृत, 9,38,943 आवासों की जियो टैगिंग/ग्राउण्डिंग एवं निर्माण कार्य प्रगति पर, जिसमें 5,16,958 आवास पूर्ण।
- (2) उत्तर प्रदेश कुल स्वीकृत आवास एवं लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास घटक में पूरे देश में प्रथम स्थान पर।
- (3) अटल नवीकरण एवं शहरी रूपान्तरण मिशन (अमृत) योजना के अन्तर्गत प्रदेश के 60 शहर आच्छादित।
- (4) शहरी बेघरों हेतु आश्रय योजना के अन्तर्गत 148 परियोजनाएं स्वीकृत, 103 परियोजनाएं पूर्ण, 45 पर निर्माण कार्य प्रगति पर।
- (5) कान्हा गौशाला-बेसहारा पशु आश्रय योजना के अन्तर्गत पशुओं का पुनर्वास।

#### 11. जलशक्ति:-

- (1) वर्तमान सरकार के विगत तीन वर्षों में 334 परियोजनाएं पूर्ण।
- (2) सिंचाई विभाग की 14 परियोजनाएं बाणसागर नहर परियोजना, पहाड़ी बांध, जमरार बांध, पहूज बांध, गुण्टा बांध, पथरई बांध, लहचूरा बांध, मौदहा बांध, रसिन बांध, लखेरी बांध, बण्डई बांध, जाखलौन पम्प नहर, जाखलौन पम्प नहर पर 2.50 मेगावाट क्षमता व 3.42 मेगावाट क्षमता के सोलर प्लाण्ट परियोजनाएं पूर्ण होने से 2.67 लाख हे0 सिंचन क्षमता के सृजन से 2.35 लाख कृषक लाभान्वित।
- (3) वित्तीय वर्ष 2020-21 में 12 परियोजनाएं सरयू नहर, अर्जुन सहायक, मध्य गंगा, 30प्र0 वाॅटर रिस्ट्रिक्चरिंग परियोजना, मसगांव एवं चिल्ली स्प्रिंकलर, कुल पहाड़ स्प्रिंकलर, सहजाद बांध, भौरट बांध, भावनी बांध, रतौली वीयर, कचनौदा बांध, उमर हट पम्प नहर परियोजना को पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित, जिससे 17.76 लाख हे0 सिंचन क्षमता सृजित होगी एवं 43.38 लाख कृषक लाभान्वित होंगे।
- (4) वर्ष 2019-20 में 46220 किलोमीटर रजबाहों एवं अल्पिकाओं की सिल्ट सफाई हुई।
- (5) नहरों, नलकूपों से 2019-20 में 8625.15 हजार हेक्टेयर भूमि का सिंचन।

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेबसाइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- (6) वर्ष 2019-20 में कुल 2409.64 करोड़ रुपये की लागत से 247 बाढ़ परियोजनाओं पर कार्य शुरू अब तक 149 परियोजनाएं पूर्ण तथा 98 परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर।
- (7) अयोध्या स्थित रामजी की पैड़ी पर अबिरल जल प्रवाह हेतु संचालित परियोजना पूर्ण।
- (8) प्रदेश में 1882 नलकूपों का निर्माण कर 94075 हेक्टेयर सिंचन क्षमता का सृजन, जिससे 92100 कृषक परिवार लाभान्वित।
- (9) बुन्देलखण्ड क्षेत्र में सूखे से निपटने हेतु 75 राजकीय नलकूपों का पुनर्निर्माण, 33 नवीन राजकीय नलकूपों का निर्माण, 20 प्रतिशत अतिरिक्त उपकरणों की व्यवस्था, 477 तालाब पोखरों में जलभराव किया गया।

## 12. नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग:-

- (1) नमामिगंगे परियोजना राज्य स्वच्छ गंगा मिशन के अन्तर्गत प्रदेश की नदियों को प्रदूषणमुक्त करने के लिए 44 सीवरेज संबंधी परियोजनायें जिनकी लागत 10078.25 करोड़ ₹0 स्वीकृत है, जिनमें 16 परियोजनाएं पूर्ण, 21 का कार्य प्रगति पर तथा 07 परियोजना प्रक्रियाधीन। नमामिगंगे पद यात्रा बिजनौर से बलिया तक 1398 किलोमीटर करते हुए 27 जिले, 21 नगर निकाय, 1038 ग्राम पंचायतों में लगभग 7.83 करोड़ लोगों से जनसम्पर्क कर निर्मल एवं अबिरल गंगा के प्रति उन्हें जागरूक किया गया।
- (2) नीर निर्मल परियोजना (विश्व बैंक सहायतित) के अन्तर्गत 358 पाइप पेयजल योजना का कार्य पूर्ण।
- (3) राज्य ग्रामीण पेयजल योजनान्तर्गत निर्माणाधीन 69 योजनाओं में 06 पाइप पेयजल योजना पूर्ण। प्रधानमंत्री जनविकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 72 परियोजनाएं पूर्ण। बार्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के अन्तर्गत 30 पेयजल योजना के कार्य पूर्ण।
- (4) मुख्यमंत्री आर0ओ0 पेयजल योजना के अन्तर्गत 71.50 करोड़ रुपये की लागत से 28041 विद्यालयों में आर0ओ0 लगाने की योजना प्रारम्भ।
- (5) वित्तीय वर्ष 2020-21 में योजनान्तर्गत मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा 'हर घर नल' 30 जून, 2020 को पाइप पेयजल योजनाओं के निर्माण कार्य हेतु 3300 करोड़ रुपये का बजट प्राविधानित।
- (6) निःशुल्क बोरिंग के अन्तर्गत गत तीन वर्षों में 327447 निःशुल्क बोरिंग पूर्ण। 3.84 लाख हे0 सिंचन क्षमता का सृजन।

## 13. उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण:-

- (1) 30प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2017 के अन्तर्गत अब तक 275 परियोजना प्रस्तावों की स्वीकृति।

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेबसाइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- (2) प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजनान्तर्गत 05 क्लस्टर जनपद मथुरा, बागपत, बाराबंकी, लखनऊ एवं रायबरेली हेतु भारत सरकार द्वारा स्वीकृत।
- (3) ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई हेतु लघु एवं सीमान्त कृषकों को इकाई लागत के सापेक्ष 90 प्रतिशत एवं अन्य कृषकों को 80 प्रतिशत अनुदान दिये जाने की सुविधा के तहत इस वर्ष 1.85 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में सिंचाई का कार्यक्रम लक्षित।
- (4) आत्मनिर्भर भारत अभियान के अन्तर्गत प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना हेतु भारत सरकार द्वारा 5 वर्षों की अवधि हेतु 37805 सूक्ष्म खाद्य उद्यमों के उन्नयन का लक्ष्य निर्धारित। ऑपरेशन ग्रीन योजना के अन्तर्गत फल/सब्जियों को शीतगृह में भण्डारित करने पर 50 प्रतिशत अनुदान की व्यवस्था।
- (5) फल, सब्जियों की क्षति को कम करने के उद्देश्य से 557 आधारभूत सुविधाएं विकसित।

#### 14. अवस्थापना सुविधाओं का विकास:-

- (1) पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र के विकास के लिए 340.824 किमी<sup>0</sup> लम्बे 06 लेन चौड़े एक्सप्रेस-वे का निर्माण कार्य 57 प्रतिशत से अधिक पूर्ण। इसके निर्माण से लखनऊ, अमेठी, बाराबंकी, सुल्तानपुर, फैजाबाद, अम्बेडकरनगर, आजमगढ़, मऊ तथा जनपद गाजीपुर सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे। एक्सप्रेस-वे के आसपास उद्योगों, शिक्षण संस्थाओं तथा व्यावसायिक केन्द्रों का विकास होगा।
- (2) बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे के साथ डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना का निर्माण कार्य प्रगति पर।
- (3) 297 किमी<sup>0</sup> लम्बे बुन्देलखण्ड लिंक एक्सप्रेस-वे का निर्माण कार्य तेजी से प्रगति पर।
- (4) 92 किमी<sup>0</sup> लम्बे गोरखपुर पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे का निर्माण कार्य तेजी से प्रगति पर।
- (5) मेरठ से प्रयागराज तक 600 किमी<sup>0</sup> लम्बे गंगा एक्सप्रेस-वे के निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही प्रगति पर।
- (6) प्रदेश में 1334 हे० में नोएडा इण्टर नेशनल ग्रीनफील्ड (जेवर) व कुशीनगर एयरपोर्ट का कार्य प्रगति पर।
- (7) साढ़े तीन वर्षों में प्रदेश में 17 एयरपोर्ट के लिए विकास कार्य किये जा रहे हैं। पूर्व में मात्र दो एयरपोर्ट कार्यशील थे मौजूदा समय में 07 एयरपोर्ट कार्य कर रहे हैं। सभी 17 एयरपोर्ट्स क्रियाशील हो जाने पर बेहतर हवाई कनेक्टिविटी से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा तथा व्यापक स्तर पर रोजगार के अवसर सृजित होंगे।

#### 15. ऊर्जा:-

- (1) प्रदेश के सभी परिवारों को विद्युत सुलभ कराने के लिए "पावर फार ऑल" के तहत अप्रैल 2017 से अब तक 1.28 करोड़ से अधिक घरों का विद्युत संयोजन।

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेबसाइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

ऑनलाइन माध्यम से 20 किलोवाट से अधिक के 16947 औद्योगिक एवं वाणिज्यिक संयोजन निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से निर्गत तथा झटपट पोर्टल से 167467 सामान्य घरेलू विद्युत संयोजन।

- (2) विद्युत उत्पादन लागत में 0.98 ₹ प्रति यूनिट की कमी से प्रदेश की 933 करोड़ ₹ की बचत। पहली बार उपभोक्ताओं को स्वयं विद्युत बिल सृजित करने तथा भुगतान इंटरनेट से करने की सुविधा।
- (3) प्रदेश के 88 खण्डों में कुल 8.83 लाख स्मार्ट मीटर स्थापित।
- (4) ग्रामीण कृषि उपभोक्ताओं को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 598 ग्रामीण फीडरों को अलग करने का कार्य सम्पन्न।
- (5) सौर ऊर्जा नीति-2017 के तहत वर्ष 2022 तक 10700 मेगावाट क्षमता के सौर विद्युत उत्पादन का लक्ष्य। इसके तहत निजी निवेश को बढ़ाने के लिए सौर ऊर्जा इकाई स्थापित करने पर शतप्रतिशत स्टाम्प शुल्क में छूट। इसके अन्तर्गत 1535 मेगावाट के ₹ 7500 करोड़ के प्रस्ताव स्वीकृत।
- (6) मुख्यमंत्री समग्र ग्राम्य विकास योजना के तहत ग्रामों में वैकल्पिक मार्ग प्रकाश की व्यवस्था हेतु 13791 सोलर स्ट्रीट लाइट संयंत्रों की स्थापना। पं० दीनदयाल उपाध्याय सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के तहत प्रदेश के विकास खण्डों में सार्वजनिक मार्ग प्रकाश व्यवस्था हेतु 25569 सोलर स्ट्रीट लाइट की स्थापना।
- (7) सौभाग्य योजना के अन्तर्गत प्रदेश के दूरस्थ ग्रामों/मजराओं के अविद्युतीकृत घरों का विद्युतीकरण हेतु 42702 सोलर संयंत्र स्थापित एवं 17398 संयंत्रों की स्थापना हेतु कार्यवाही प्रगति पर।
- (8) प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में स्वच्छ पेयजल एवं पंखे की व्यवस्था के लिए सोलर आर.ओ. वाटर प्लाण्ट तथा 01 किलोवाट का सोलर पावर प्लाण्ट लगाने हेतु 2937 सोलर पावर संयंत्र स्थापित।
- (9) कृषि विभाग के सहयोग से विभिन्न क्षमताओं के 29668 सोलर पम्प सिंचाई की स्थापना।
- (10) उत्तर प्रदेश द्वारा राज्य क्षेत्र में 30नि0लि0 की नई परियोजनाओं पर कुल 47345 करोड़ रुपये का निवेश किया जा रहा है।

#### 16. श्रम एवं सेवायोजन विभाग:-

- (1) प्रदेश में कोरोना संकट के समय वापस लौटे कामगारों/श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए 30प्र0 कामगार एवं श्रमिक (सेवायोजन एवं रोजगार) आयोग का गठन। आउटसोर्सिंग आफ मैन पावर के लिए जेम पोर्टल पर पंजीकृत एवं बिड अवार्डी सेवा प्रदाताओं द्वारा सेवायोजन पोर्टल पर पंजीकृत अभ्यर्थियों के चयन हेतु प्रक्रिया के निर्देश जारी।

---

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेबसाइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- (2) बाल श्रम उन्मूलन हेतु 20 जिलों के 1097 ग्राम पंचायतों/शहरी वार्डों में नया सवेरा योजना के अन्तर्गत 23482 बाल श्रमिकों का पुनर्वास कर उन्हें शिक्षा से जोड़ा गया।
- (3) कारखानों में 10 वर्ष के नवीनीकरण वैधता के साथ लाइसेन्स जारी करने की सुविधा।
- (4) बाल श्रमिक विद्या योजना में 08-18 आयु वर्ग कामकाजी बच्चों/किशोर-किशोरियों की आय की क्षतिपूर्ति की व्यवस्था के तहत कृषि, गैर-कृषि, स्वरोजगार, गृह आधारित प्रतिष्ठान, घरेलू कार्य व किसी प्रकार का भी अन्य श्रम सम्मिलित किया गया है।
- (5) प्रदेश के 18 मण्डलों में निर्माण श्रमिकों के बच्चों को गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करने उद्देश्य से अटल आवासीय विद्यालय स्थापित करने का अभूतपूर्व निर्णय।
- (6) कार्यस्थल पर श्रमिक की मृत्यु की दशा में 05 लाख रुपये, स्थायी दिव्यांगता पर 03 लाख रुपये एवं आंशिक दिव्यांगता पर 02 लाख रुपये की सहायता। श्रमिकों के कल्याणार्थ 16 योजनाएं संचालित।
- (7) प्रवासी कामगारों एवं अन्य अपंजीकृत श्रमिकों का पंजीकरण कराकर इनकी स्किल मैपिंग के आधार पर रोजगार उपलब्ध कराने हेतु सेवामित्र प्लेटफार्म नाम से नयी एप्लीकेशन विकसित करके, इसमें 3770355 श्रमिक पंजीकृत किये गये। विभिन्न राज्यों से प्रदेश में आये प्रवासी श्रमिकों की कैरियर कौन्सिलिंग कराये जाने एवं हेल्पडेस्क स्थापित करके श्रमिकों को सरकारी योजनाओं की जानकारी, रोजगार के अवसर एवं श्रमिकों को देय विभिन्न लाभों की जानकारी दी जा रही है।
- (8) कोविड-19 महामारी के दौरान पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के भरण-पोषण के लिए 'आपदा राहत सहायता योजना' से रु0 1000 रुपये प्रतिमाह की आर्थिक मदद।
- (9) प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजनान्तर्गत 602657 लाभार्थियों का पंजीकरण।

#### 17. शिक्षा:-

- (1) वर्ष 2020-21 में प्रदेश के 1,67,193 प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत 1.81 करोड़ छात्रों को आच्छादित किया जा रहा है, जो देश में सर्वाधिक है। कोविड-19 महामारी से लॉकडाउन एवं ग्रीष्मावकाश की अवधि को सम्मिलित करते हुए योजना से आच्छादित समस्त प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के छात्र/छात्राओं को मध्याह्न भोजन की प्रतिपूर्ति के रूप में 76 दिन का खाद्यान्न एवं परिवर्तन लागत उपलब्ध कराया जा रहा है।
- (2) वर्ष 2020-21 में 01 अप्रैल, 2020 से परिवर्तन लागत में वृद्धि कर प्राथमिक स्तर पर रु0 4.97 प्रति छात्र प्रतिदिन एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर रु0 7.45 प्रति छात्र प्रतिदिन की दर से परिवर्तन लागत निर्धारित है।
- (3) कोविड-19 महामारी के कारण हुए लॉकडाउन के दृष्टिगत स्कूल बन्द होने से प्रभावित शैक्षिक सत्र-2019-20 को नियमित करने के लिए 30प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज तथा 30प्र0 माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद लखनऊ के कक्षा

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेबसाइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।



- 06, 07, 08, 09 एवं 11 के समस्त विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया गया।
- (4) स्कूल बन्दी के चलते 01 अप्रैल, 2020 से प्रारम्भ हो रहे शैक्षिक सत्र 2020-21 में विद्यार्थियों के लिए 20 अप्रैल, 2020 से व्हाट्सएप, वर्चुअल क्लासेज के माध्यम से आनलाइन शिक्षण प्रारम्भ।
  - (5) कक्षा 01 से 08 तक के बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, दो जोड़ी यूनीफार्म, स्कूल बैग, स्वेटर एवं एक जोड़ी जूता, ड्रेस, दो जोड़ी मोजों का वितरण। कक्षा 1 से 8 तक के सभी छात्र-छात्राएं मध्याह्न भोजन योजना के तहत आच्छादित।
  - (6) कक्षा 9 व 11 के विद्यार्थियों का आधार लिंक आनलाइन अग्रिम पंजीकरण हुआ। बोर्ड परीक्षा सम्पादन, एवं अन्य कार्यों में सुधार के लिये आनलाइन केन्द्र निर्धारण, पंजीकरण, मान्यता, डुप्लीकेट अंकपत्र/प्रमाणपत्र उपलब्ध कराने की व्यवस्था।
  - (7) अरबी एवं फारसी मदरसों में अध्ययनरत् छात्रों को आधुनिक ज्ञान-विज्ञान से परिचित कराने के उद्देश्य से एन0सी0ई0आर0टी0 पाठ्यक्रम लागू।
  - (8) प्रदेश में 193 नये इण्टर कालेजों का संचालन, 55 नये इण्टर कालेजों की स्वीकृति तथा 30 बालिका छात्रावासों का संचालन। इण्टर मीडिएट स्तर पर कम्पार्टमेंट परीक्षा का प्रावधान।
  - (9) नये 03 राज्य विश्वविद्यालय तथा 51 राजकीय महाविद्यालय, 01 राजकीय महाविद्यालय में विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय की स्थापना की जा रही है।
  - (10) कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत लॉकडाउन अवधि में शैक्षणिक सत्र-2020-21 को प्रारम्भ किये जाने एवं अध्ययन-अध्यापन की गतिविधियों तथा शैक्षणिक कैलेण्डर के निर्धारण के संबंध में शासनादेश जारी। ई-कन्टेन्ट हेतु पोर्टल विकसित कर वेबसाइट पर अपलोड किये गये जिसका प्रयोग विद्यार्थियों द्वारा किया जा रहा है। दूरदर्शन एवं इग्नू द्वारा शुरू किये गये 04 निःशुल्क शैक्षिक चैनलों तथा भारत सरकार द्वारा संचालित स्वयंप्रभा के अन्तर्गत 32 निःशुल्क चैनलों का प्रसारण किये जाने के संबंध में समयसारिणी/पाठ्यक्रम की जानकारी प्रसारित।

#### 18. समाज कल्याण:-

- (1) राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत 49,87,054 पेंशनरों को 500 रुपये प्रतिमाह की दर से कुल 1405.96 करोड़ रुपये व्यय कर पेंशन दी गई।
- (2) राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अन्तर्गत 13479 परिवारों को लाभान्वित किया गया।
- (3) समाज के कमजोर वर्गों के बच्चों के शैक्षिक उत्थान हेतु 94 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों की स्थापना, जिसमें निःशुल्क आवासीय सुविधा, भोजन, यूनीफार्म, कापी-किताब इत्यादि उपलब्ध करायी जाती है।

---

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेबसाइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- (4) उत्तर प्रदेश माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण एवं वृद्धाश्रम का संचालन योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु प्राविधानित धनराशि 50 करोड़ रुपये है, जिसके सापेक्ष माह जून, 2020 तक 14.75 करोड़ रुपये व्यय करते हुए 4889 वृद्धजनों को आवासीय एवं अन्य सुविधायें प्रदान की जा रही हैं।
- (5) वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनु0 जाति के पूर्वदशम छात्रवृत्ति में छात्र/छात्राओं हेतु 205 करोड़ रुपये का प्राविधान एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु 980 करोड़ की धनराशि शासन द्वारा अवमुक्त।
- (6) मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत सभी वर्गों के निर्धन परिवारों की कन्याओं का विवाह सम्पन्न कराने हेतु शासन द्वारा 250 करोड़ रुपये की धनराशि अवमुक्त।
- (7) पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत पिछड़े वर्ग के छात्र-छात्राओं को चालू वित्तीय वर्ष में 17,500.00 लाख रुपये, दशमोत्तर छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु कुल 1,20,000 लाख रु की धनराशि प्राविधानित। छात्रावास हेतु 1500 लाख रु का प्राविधान।
- (8) पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए ओ-लेबल सी0सी0सी0 कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष में 1500 लाख रुपये की धनराशि का प्राविधान। पिछड़े वर्ग के गरीबों की पुत्रियों के विवाह हेतु 15000.00 लाख रु का प्राविधान। 10 अगस्त 2020 तक 19770 लाभार्थियों को लाभान्वित कराये जाने की कार्यवाही प्रचलित।
- (9) मदरसों में एन0सी0ई0आर0टी0 पाठ्यक्रम लागू।
- (10) अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति सुलभ कराने के लिए अभिभावकों की अधिकतम वार्षिक आय दो लाख रुपये की गई। पूर्व दशम छात्रवृत्ति में 128494 छात्र/छात्राएं लाभान्वित। दशमोत्तर छात्रवृत्ति के अन्तर्गत 407906 छात्र/छात्राएं लाभान्वित।
- (11) अल्पसंख्यकों के गरीबों की पुत्रियों के विवाह हेतु 3700 लाख रु का आवंटन।
- (12) प्रदेश में 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता वाले गरीब दिव्यांगों को कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण हेतु 62,333 दिव्यांगों को वितरित कराने का लक्ष्य। 1090436 दिव्यांगजनों को 500 रुपये प्रतिमाह की दर से पेंशन वितरित। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में दिव्यांगजनों को निःशुल्क यात्रा सुविधा। दिव्यांगों को शिक्षा प्राप्त करने एवं आत्म निर्भर बनाने के लिए अनेक योजनाएं संचालित।
- (13) कुष्ठवस्था पेंशन योजना के अन्तर्गत रुपये 2500 प्रतिमाह प्रति लाभार्थी की दर से अनुदान दिया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में 11,207 दिव्यांगजन लाभान्वित।
- (14) दिव्यांगजन के पुनर्वासन हेतु रु 20,000 की धनराशि दुकान निर्माण हेतु तथा दुकान संचालन हेतु रु 10,000 का प्राविधान। वित्तीय वर्ष 2020-21 में 1060 दिव्यांगजनों को लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य।

- 
1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
  2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेबसाइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

## 19. महिला एवं बाल विकास:-

- (1) कोविड-19 के अन्तर्गत विभिन्न प्रदेशों से आये 31 जनपदों के प्रवासी श्रमिकों के पात्र 99645 विभिन्न श्रेणी के लाभार्थियों को अनुपूरक पोषाहार से लाभान्वित किया जा रहा है। कोविड-19 अन्तर्गत निर्गत दिशा-निर्देश के क्रम में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों द्वारा मा0 जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में लाभार्थियों को डोर-टू-डोर पोषाहार वितरित किया जा रहा है। गरीब कल्याण रोजगार अभियान के अन्तर्गत बाहर से लौटे प्रवासी श्रमिकों को 125 दिनों तक निर्माणाधीन आंगनबाड़ी केन्द्रों के निर्माण में श्रमिक रोजगार के रूप में अगस्त 2020 तक 72841 प्रवासी श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया गया।
- (2) बालिकाओं के प्रति आमजन को सकारात्मक सोच विकसित करने हेतु “मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना” लागू, जिसके अन्तर्गत लाभार्थी को ₹0 15,000 तक की धनराशि से लाभान्वित किया जाता है। इस योजना में अब तक 4.76 लाख पात्र लाभान्वित।
- (3) बेटी-बचाओ, बेटी-पढ़ाओ योजना के अन्तर्गत 9.79 करोड़ रुपये व्यय। स्कूल छोड़ चुकी 29235 किशोरी बालिकाओं को स्कूल शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ा गया।
- (4) पति की मृत्यु से निराश्रित हो गई महिलाओं को वर्ष 2020-21 में 26.06 लाख लाभार्थियों को ₹0 500 प्रतिमाह पेंशन के साथ ही विशेष पैकेज के रूप में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनान्तर्गत ₹0 1000 की अतिरिक्त धनराशि भी प्रदान की गई।

## 20. राजस्व:-

- (1) कोरोना महामारी के दृष्टिगत राज्यस्तरीय एकीकृत आपदा नियंत्रण कक्ष की स्थापना। 34 लाख 23 हजार प्रवासियों की स्किल मैपिंग कराकर प्रवासी श्रमिकों के सम्पूर्ण विवरण संबंधित विभागों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु भेजे गये। प्रदेश में आये 13,59,443 श्रमिक परिवारों को होम क्वारंटाइन की अवधि अर्थात 15 दिनों के उपयोग हेतु राशन किट वितरित की गई। 10,48,166 प्रवासी श्रमिक परिवारों को डीबीटी के माध्यम से ₹0 1000 की सहायता उपलब्ध करायी गयी।
- (2) मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना के अन्तर्गत दुर्घटनावश मृत्यु/दिव्यांगता की दशा में अधिकतम 5 लाख रुपये दिये जाने के प्राविधान के अन्तर्गत 15841 व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया।
- (3) एंटी भू-माफिया के अन्तर्गत हुये अवैध कब्जे के लिए प्रभावी कार्यवाही कराये जाने हेतु प्रदेश स्तर पर 4 स्तरीय एंटी भू-माफिया टास्क फोर्स का गठन। प्रभावी अनुश्रवण हेतु एंटी भू-माफिया पोर्टल विकसित। जिसके अनुसार प्रदेश में कुल 78,082.78 हे0 भूमि को अवैध अतिक्रमण से मुक्त कराया गया तथा 22,745 राजस्व वाद, 837 सिविल वाद व 4160 एफआईआर दर्ज करायी गयी हैं।

---

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेबसाइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

## 21. परिवहन:-

- (1) कोविड-19 के बचाव के दृष्टिगत लॉकडाउन में परिवहन निगम की बसों द्वारा 33.58 लाख प्रवासी श्रमिकों को उनके गृह जनपद तक भेजा गया। शासन द्वारा निर्गत किये गये आदेशों/निर्देशों का अनुपालन करते हुए समस्त बस स्टेशनों की नियमित रूप से सफाई, डिस्इन्फेक्टेन्ट से सैनेटाइजेशन, प्रत्येक बस के निर्गम से पूर्व आंतरिक सफाई व सेनेटाइजेशन, चालक परिचालक फेस मास्क एवं सेनेटाइजर की व्यवस्था, बस स्टेशनों के द्वार पर प्रत्येक यात्री की थर्मल स्कैनिंग सुनिश्चित करते हुए बसों का लगातार संचालन किया जा रहा है।
- (2) प्रदेश के 38200 असेवित गांवों में से 26050 गांवों को परिवहन सेवा से सेवित किया गया।
- (3) निर्भया फण्ड योजना के अन्तर्गत महिलाओं के लिए 52 पिक सेवाएं संचालित हैं, जिसमें महिला यात्रियों की सुरक्षा हेतु बसों में सीसीटीवी कैमरे तथा पैनिक बटन लगाने के साथ ही 40 इण्टरसेप्टर वाहन की व्यवस्था। सेवा का समन्वय यू.पी. डायल 112 से भी है।
- (4) दुर्घटनाओं की रोकथाम और सुरक्षित संचालन के दृष्टिगत चालकों का स्वास्थ्य एवं नेत्र परीक्षण के साथ ही "ब्रेथ एनेलाइजर" द्वारा नशे की भी जांच करायी जा रही है।
- (5) निगम द्वारा पड़ोसी देश नेपाल हेतु दिल्ली से महेन्द्र नगर, पोखरा व नेपालगंज के लिए बस सेवा का संचालन।
- (6) रक्षाबन्धन पर्व वर्ष 2020 में 7.37 लाख महिला यात्रियों को निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की गई।

## 22. सड़क एवं यातायात योजना (लोक निर्माण विभाग):-

- (1) वर्तमान सरकार के अब तक कार्यकाल में लगभग 11,259 किमी. लम्बाई में ग्रामीण मार्गों का निर्माण। अब तक लगभग 12,600 किमी<sup>0</sup> लम्बाई में मार्गों का चौड़ीकरण/सुदृढीकरण का कार्य किया गया।
- (2) प्रदेश में पहली बार राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को सम्मानित एवं प्रोत्साहित करने हेतु खिलाड़ियों के निवास/ग्राम तक मार्ग का निर्माण/मरम्मत कर मेजर ध्यान चंद पथ के रूप में विकसित करने की अभिनव योजना लागू। वर्तमान वित्तीय वर्ष में 16 खिलाड़ियों के निवास/ग्रामों के मार्गों के निर्माण/मरम्मत हेतु चयनित।
- (3) मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत अब तक 14.35 करोड़ रुपये की लागत से लगभग 29 किमी<sup>0</sup> लम्बाई में मार्ग निर्माण करते हुए 32 कार्य पूर्ण किये गये। इस योजना के तहत 102.48 करोड़ रुपये की लागत से 156 मजरों में 178 किमी<sup>0</sup> लम्बाई के 144 कार्य पूर्ण।

---

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेबसाइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- (4) 93 दीर्घ सेतु पहुंच मार्ग सहित पूर्ण तथा 35 रेल उपरिगामी सेतुओं के निर्माण का कार्य पूर्ण कर आवागमन हेतु चालू। 234 लघु सेतुओं को पहुंच मार्ग सहित पूर्ण किया गया।
- (5) वैश्विक महामारी कोविड-19 में लॉकडाउन के दौरान श्रमिकों/निर्धनों एवं बेसहारा व्यक्तियों को लोक निर्माण विभाग द्वारा जन-सहयोग से कम्यूनिटी किचन के माध्यम से 265880 भोजन पैकेट्स एवं 116167 राशन सामग्री के पैकेट्स का प्रदेश के सभी जनपदों में वितरण किया गया। लॉकडाउन के पश्चात प्रवासी/अप्रवासी श्रमिकों को उनकी आजीविका के लिए रोजगार उपलब्ध कराने हेतु अभियान चलाकर 112000 श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराये गये।
- (6) डॉ0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम गौरव पथ योजना के तहत प्रदेश के 10वीं व 12वीं कक्षा के (टॉप-20) मेधावी छात्र/छात्राओं के निवास स्थल/स्कूलों तक सड़क निर्माण की योजना संचालित।
- (7) लोक निर्माण विभाग द्वारा सभी जनपदों के प्रत्येक खण्डों में एक-एक हर्बल मार्ग विकसित। अब तक 69 जनपदों में हर्बल मार्ग का चयन करते हुए 24908 हर्बल पौधे रोपित किये।
- (8) सिंगल यूज वेस्ट प्लास्टिक का उपयोग कर लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रदेश के आगरा, प्रयागराज, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर नगर, लखनऊ, मेरठ, वाराणसी, बाराबंकी, शाहजहांपुर, मैनपुरी एवं बदायूं में 14 प्लास्टिक मार्ग जिनकी लम्बाई 21.60 किमी0 व लागत 8.39 करोड़ के सापेक्ष अब तक 8.25 करोड़ रुपये से 20.21 किमी0 लम्बाई के 13 कार्य पूर्ण एवं शेष एक निर्माण कार्य प्रगति पर।

### 23. पंचायतीराज:-

- (1) स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में 39 लाख 28 हजार 765 व्यक्तिगत शौचालय (इंजतघर) का निर्माण कराया गया। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) का दूसरा चरण 2020-21 से 2024-25 तक शुरू हुआ है, जिसमें एसएलडब्ल्यूएम, ओडीएफ, सतत विकास सहित ओडीएफ प्लस गतिविधियां शौचालय उपयोग और पर्यावरण स्वच्छता सुनिश्चित करना प्रमुख है, इसे एक मिशन मोड में लागू किया जायेगा। गंगा किनारे के 27 जनपदों के ग्रामों में शतप्रतिशत शौचालयों का निर्माण।
- (2) कोविड-19 के दृष्टिगत ग्राम पंचायतों की मूलभूत अवस्थापना संरचनाओं हेतु वित्त आयोग एवं कनवर्जेंस की धनराशि से 58769 सामुदायिक शौचालय एवं 22710 पंचायत भवन का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। कोविड-19 की रोकथाम हेतु पंचम राज्य वित्त आयोग की संक्रमित धनराशि से 149.50 करोड़ जिला स्वास्थ्य समिति के खाते में एवं ₹0 516 करोड़ ग्राम पंचायतों/क्षेत्र पंचायतों एवं जिला पंचायतों के खातों में हस्तान्तरित की गयी।

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेबसाइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- (3) आपरेशन कायाकल्प के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों में उपलब्ध राज्य एवं 14 वें वित्त आयोग की धनराशि से प्रदेश में कुल 14088 पंचायत भवनों, 74130 प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों, 22942 आंगनबाड़ी केन्द्रों का अनुरक्षण, सुदृढीकरण कराया गया तथा 72574 विद्यालयों में बाल मैत्रिक शौचालयों का निर्माण कराया गया।
- (4) ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए शौचालय निर्माण की राष्ट्रीय स्तर पर तुलनात्मक प्रगति में 30प्र0 प्रथम स्थान पर।
- (5) बेस लाइन के अनुसार प्रदेश के सभी 75 जनपद ओडीएफ घोषित।
- (6) 346 ग्राम पंचायतों को मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत पुरस्कृत किया गया।

#### 24. पर्यटन:-

- (1) अयोध्या को पर्यटन के विश्वपटल पर विकसित करने की वृहद कार्य योजना पर कार्य प्रारम्भ। अयोध्या में पर्यटन विकास एवं सौन्दर्यीकरण हेतु श्रीराम जी की प्रतिमा की स्थापना, डिजिटल म्यूजियम, इण्टर प्रेटेशन सेन्टर, लाइब्रेरी, पार्किंग, टोल प्लाजा, लैण्डस्केपिंग, घाटों का निर्माण, उच्चीकरण, सौन्दर्यीकरण आदि निर्माण कार्य प्रगति पर।
- (2) वाराणसी के प्रसिद्ध मंदिरों पर आधारित पावन पथ वाराणसी वेबसाइट का निर्माण। वाराणसी में अस्सीघाट से राज घाट के मध्य क्रूज बोट के संचालन हेतु निर्माण कार्य पूर्ण। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के विकास का कार्य प्रगति पर, सांस्कृतिक केन्द्र की स्थापना। विभिन्न पर्यटन विकास निर्माण कार्य प्रगति पर।
- (3) मथुरा में गोवर्धन के समेकित पर्यटन विकास, मथुरा-वृन्दावन टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेन्टर का निर्माण, चार कुण्डों का जीर्णोद्धार, बांके बिहारी मन्दिर क्षेत्र की गलियों, कालीदह आदि का निर्माण, पं0 दीनदयाल उपाध्याय जन्मस्थली ग्राम नगला चन्द्रभान का पर्यटन विकास सहित ब्रजतीर्थ विकास परिषद द्वारा 70 परियोजनाओं का कार्य।
- (4) स्वदेश दर्शन योजना के अन्तर्गत रामायण सर्किट, बौद्ध सर्किट, हेरिटेज सर्किट एवं स्प्रिचुएल सर्किट, बुन्देलखण्ड सर्किट, शक्तिपीठ सर्किट, महाभारत सर्किट, आध्यात्मिक सर्किट, सूफी सर्किट एवं जैन सर्किट का चिन्हांकन कर समेकित पर्यटन विकास का कार्य प्रगति पर।
- (5) प्रमुख पर्यटन स्थलों को हेलीकॉप्टर सेवा से जोड़ने हेतु हेलीपोर्ट का निर्माण कार्य प्रगति पर। प्रदेश के तीर्थ स्थानों विंध्याचल, प्रयागराज, वाराणसी, आगरा, बरसाना (मथुरा), चित्रकूट में रोप वे का पी.पी.पी. मॉडल के अन्तर्गत निर्माण कार्य प्रगति पर।
- (6) प्रो-पूअर टूरिज्म डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के माध्यम से 371.43 करोड़ ₹0 से घरेलू पर्यटन स्थलों का विकास स्थानीय जनता के जीवन स्तर को सुधारने के लिए

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेबसाइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

अतिरिक्त रोजगार सृजित करना एवं ऐतिहासिक धरोहरों को संरक्षित करने पर विशेष बल। टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए दुधवा टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व स्थलों का पर्यटन विकास।

- (7) 'मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना' के तहत प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र के किसी न किसी स्थल के पर्यटन विकास का निर्णय। 44 पर्यटन विकास योजनाओं का क्रियान्वयन।
- (8) गत वर्ष प्रदेश में 5406.00 लाख पर्यटक आये जिनमें 47.45 लाख विदेशी पर्यटक हैं।

## 25. ग्राम्य विकास, पशुधन व मत्स्य:-

- (1) प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत 14 सितम्बर, 2020 तक 14.29 लाख आवास का निर्माण पूर्ण शेष निर्माणाधीन।
- (2) मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत समाज की मुख्य धारा से वंचित तथा सबसे अंतिम पायदान पर स्थित परिवारों को कुल 50740 लाभार्थियों को मुसहर वर्ग के 28295, वनटांगिया वर्ग को 4602 तथा कुष्ठ रोग से प्रभावित 2115 परिवारों को आवास मुहैया कराया गया।
- (3) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में 09 सितम्बर तक 2020 तक 6295.96 करोड़ रुपये व्यय करते हुए 22.51 करोड़ मानव दिवसों का सृजन किया गया है। अब तक 77.95 लाख परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। 29479 परिवारों को पूर्ण 100 दिन का रोजगार दिया गया है।
- (4) कोविड-19 महामारी में लॉकडाउन अवधि के दौरान लाखों की संख्या में प्रदेश में वापस आये प्रवासी श्रमिकों को रोजगार की व्यवस्था करने हेतु मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर मनरेगा के अन्तर्गत अप्रैल, 2020 से अब तक 94.15 लाख श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया गया, जिनमें 11.44 लाख प्रवासी श्रमिक हैं। श्रमिकों को 4515.32 करोड़ रुपये मजदूरी का भुगतान करके तालाबों, नदियों का पुनरोद्धार, चेकडैम, कूपों, मार्ग आदि के 5.36 लाख निर्माण कार्य कराये गये।
- (5) गरीब कल्याण रोजगार अभियान के अन्तर्गत चयनित 31 जनपदों में 09 सितम्बर 2020 तक मानव दिवस सृजन के लक्ष्य 10.18 करोड़ मानव दिवस के सापेक्ष 1766.96 करोड़ रुपये व्यय करते हुए 5.83 करोड़ मानव दिवस सृजित किये गये हैं तथा 176589 कार्य पूर्ण किये गये।
- (6) प्रवासी परिवारों के 29,600 महिला सदस्यों को स्वयं सहायता समूहों से आच्छादित करते हुए आजीविका संवर्धन संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से उनकी आय में वृद्धि। कोविड-19 से प्रभावित परिवारों एवं प्रवासी श्रमिकों के आय सृजन एवं रोजगार उपलब्ध कराने हेतु 31938 पात्र स्वयं सहायता समूहों को 218.49 करोड़

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेबसाइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

रुपये मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा आनलाइन निर्गत। जिसमें कुल लगभग 3.42 लाख परिवार प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित।

- (7) ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत अब तक 5292 मार्गों का निर्माण करते हुए 2044.71 किमी0 सड़क का निर्माण कराते हुए 4312 बसावटों को किया गया लाभान्वित। इस वर्ष 49 लक्षित मार्गों में 13 मार्ग पूर्ण शेष पर कार्य प्रगति पर। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत इस वर्ष 279 किमी0 सड़क का निर्माण। पी0एम0जी0एस0वाई-3 के अन्तर्गत प्रदेश के लिए 18937.05 किमी0 सड़क निर्माण का लक्ष्य निर्धारित।
- (8) “मा0 मुख्यमंत्री निराश्रित/बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना” के अन्तर्गत इच्छुक कृषक/पशुपालक/अतिकुपोषित परिवारों को एक-एक गाय उपलब्ध कराये जाने एवं उसके भरण-पोषण हेतु 900 रुपये प्रतिमाह दिये जाने की व्यवस्था की गई है।
- (9) प्रदेश में 5099 अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल स्थापित, इनमें 515164 गोवंश संरक्षित।
- (10) मा0 मुख्यमंत्री निराश्रित/बेसहारा गोवंश सहभागिता योजनान्तर्गत 60850 गोवंश सुपर्दगी में दिए गये, 31239 पशुपालकों को लाभान्वित किया गया।
- (11) मत्स्य उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाये जाने, मछुआरों व मत्स्य पालकों की आय को दोगुनी करने, रोजगार सृजन, प्रबन्धन आदि हेतु प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना लागू।

## 26. वन एवं पर्यावरण:-

- (1) प्रदेश के 08 जनपदों लखनऊ, सीतापुर, बाराबंकी, अयोध्या, मेरठ गौतमबुद्धनगर, बाँदा एवं चित्रकूट में एक ही दिन में एक घंटे में 240 प्रजातियों का पौध रोपण कर गिनीज विश्व कीर्तिमान स्थापित किया।
- (2) मिशन वृक्षारोपण-2020 के अन्तर्गत वन विभाग एवं 26 राजकीय विभागों द्वारा स्वयं व व्यापक जनसहभागिता से 05 जुलाई, 2020 को एक ही दिन में 25.87 करोड़ पौध रोपित कर ऐतिहासिक उपलब्धि अर्जित करते हुए विश्व कीर्तिमान स्थापित।
- (3) प्रदेश में गंगा किनारे अवस्थित 27 जनपदों में दोनों तटों से 10 किमी0 के अन्दर 6000 हे0 क्षेत्रफल में 67 लाख से अधिक तथा गंगा, यमुना की 40 से अधिक सहायक नदियों के दोनों तटों पर 2100 हे0 क्षेत्र में 1.5 करोड़ से अधिक पौधे रोपित किये गये।

## 27. खेल, युवा कल्याण एवं कौशल विकास:-

- (1) खेलो इण्डिया योजना के अन्तर्गत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में खेल अवस्थापना सुविधाओं के सृजन की कार्यवाही। फिट इंडिया मूवमेंट कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक जनपद में लोकप्रिय/प्रचलित खेलों का आयोजन। राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय

---

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेबसाइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।



प्रतियोगिताओं के पदक विजेता प्रदेश के 268 खिलाड़ियों को 1.07 करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि वितरित।

- (2) ग्रामीण युवाओं को खेल सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 81 ग्रामीण स्टेडियम की स्थापना।
- (3) 30प्र0 कौशल विकास मिशन के अन्तर्गत प्रशिक्षण हेतु 12 लाख पंजीकृत। 09 लाख को दिया गया प्रशिक्षण। 3.40 लाख प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को सेवायोजित किया गया।

## 28. सूचना विभाग:-

- (1) प्रदेश सरकार द्वारा किये जा रहे जन कल्याणकारी एवं विभिन्न कार्यक्रमों, उपलब्धियों पर आधारित 07 दिन 07 पृष्ठ की ई-संदेश पत्रिका का प्रति सप्ताह प्रकाशन।
- (2) लोकभवन में मा0 मुख्यमंत्री सोशल मीडिया हब स्थापित। सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार की योजनाओं, नीतियों आदि का व्यापक प्रचार-प्रसार।
- (3) वर्तमान सरकार की विभिन्न कल्याणकारी, विकासपरक, रोजगार परक एवं महत्वपूर्ण योजनाओं, कार्यक्रमों का होर्डिंग, एलईडी, विज्ञापन, विभिन्न प्रकार के प्रकाशन, प्रदर्शनी, गीत एवं नाट्य, लेख, फीचर लेख, सफलता की कहानी, प्रेस विज्ञप्तियों, फोटो, फिल्म निर्माण आदि विभिन्न संचार माध्यमों के द्वारा प्रचार-प्रसार किया जा रहा है।
- (4) कोविड-19 महामारी से बचाव के लिए सरकार द्वारा किये जा रहे विभिन्न कार्यों तथा कोरोना की रोकथाम हेतु विभिन्न संचार माध्यमों के द्वारा आम जनमानस में जागरूकता लाने का प्रचार-प्रसार किया जा रहा है।

## 29. खादी तथा ग्रामोद्योग:-

- (1) मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अन्तर्गत गत तीन वर्षों में अब तक 1319 इकाइयां स्थापित करते हुए 25345 लोगों को रोजगार।
- (2) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत अब तक 5251 इकाइयां स्थापित करते हुए 56684 लोगों को रोजगार।
- (3) आनलाइन मार्केटिंग के परिप्रेक्ष्य में खादी की नई डिजाइनों एवं गुणवत्ता के लिए निफ्ट से तकनीकी सहयोग। वर्तमान में बिक्री हेतु ऑन लाइन प्लेटफार्म अमेजन पर 83 एवं फ्लिपकार्ट पर 10 खादी एवं ग्रामोद्योग इकाईयों के उत्पाद उपलब्ध।
- (4) देश में 30प्र0 प्रथम राज्य है जहां सौर ऊर्जा आधारित चर्खों के संचालन को मान्यता प्रदान करते हुए अनुदान की सहायता उपलब्ध करायी गयी।
- (5) प्रदेश में मिट्टी के कार्य करने वाले शिल्पियों के परम्परागत व्यवसाय को नवाचार के माध्यम से संरक्षित एवं संवर्धित करने हेतु '30प्र0 माटी कला बोर्ड' का गठन। 2514 को कुम्हारी चाक वितरित। इस वर्ष 2700 कुम्हारी चाक, 56 अदद पेटिंग

---

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेबसाइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

मशीन, 06 अदद दिया मेंकिंग मशीन तथा दीपावली के दृष्टिगत गणेश लक्ष्मी जी की मूर्तियों हेतु 150 पीओपी मास्टर डाई का वितरण किया जा रहा है।

**30. भूतत्व एवं खनिकर्म:-**

- (1) बालू/मौरम के खनन पट्टाधारकों के त्रैमासिक किशतों से मासिक देय किशत की सुविधा प्रदान करते हुए 01 जून, 2020 से देय किशतों को अग्रिम रूप से ऑनलाइन के माध्यम से भुगतान की सुविधा।
- (2) प्रदेश में उपखनिजों के भण्डारण स्तर से गन्तव्य स्थान पर परिवहन हेतु मुद्रित परिवहन प्रपत्र के स्थान पर 01 जूलाई 2020 से उपखनिजों का परिवहन, इलेक्ट्रॉनिक जनित ई-फार्म-सी द्वारा किये जाने की व्यवस्था लागू।

**31. चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण:-**

- (1) प्रदेश में 10 सितम्बर 2020 तक ई-संजीवनी के माध्यम से 68256 लोगों ने चिकित्सीय परामर्श प्राप्त किया। मुख्यमंत्री जी द्वारा लोकार्पण किये गये आयुष कवच एप से जनसामान्य द्वारा स्वास्थ्य/रोगों से संबंधित पूछे गये प्रश्नों को समाधान किया जाता है।
- (2) प्रदेश सरकार ने निजी अस्पतालों में कोविड टेस्टिंग दर रु0 1600/- निर्धारित की।
- (3) प्रदेश में 35 राजकीय कोविड-19 परीक्षण लैब स्थापित कर कोरोना जाँच की सुविधा उपलब्ध करा दी गयी है तथा गम्भीर रोगियों की त्वरित जाँच हेतु सभी जनपद स्तरीय चिकित्सालयों में ड्रनेट टेस्ट की सुविधा प्रदान की गई है।
- (4) प्रदेश में कोविड बीमारी के निदान हेतु बेहद तीव्र गति से कार्य करते हुए कोविड जाँच की सुविधाओं में निरंतर प्रगति की गयी है। दिनांक 14 सितम्बर, 2020 तक प्रदेश में कुल 77 लाख से अधिक व्यक्तियों की जाँच कोविड हेतु की जा चुकी है। इसी तिथि तक प्रदेश में 2,21,506 मरीज पूरी तरह उपचारित हो चुके हैं, जिसका रिकवरी रेट 76 प्रतिशत से अधिक है।
- (5) 102 नेशनल एम्बुलेंस सेवा के अन्तर्गत प्रदेश में कुल 2270 एम्बुलेंस क्रियाशील। अब तक 1.82 करोड़ से अधिक रोगी लाभान्वित।
- (6) दिमागी बुखार पर पूर्ण नियंत्रण। संक्रामक रोगों पर नियंत्रण के इस गोरखपुर माँडल को राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मिल रही है सराहना।
- (7) प्रदेश में क्षय रोगियों की जाँच के लिए 143 सी.बी. नाट मशीन स्थापित है।
- (8) प्रदेश में कुष्ठ रोग उपचार मल्टी ड्रम थेरेपी के फलस्वरूप गतवर्ष की तुलना में 4,262 रोगियों की संख्या कम हुई।
- (9) आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन-आरोग्य योजनान्तर्गत प्रदेश के 1.18 करोड़ से अधिक परिवार लाभान्वित हो रहे हैं। 75.88 लाख गोल्डेन कार्ड्स बनाये गये।
- (10) वर्ष 2011 की जनगणना के सूची में जिन 10,11,980 गरीब परिवारों का नाम नहीं जुड़ सका था, ऐसे वंचित परिवार के लोगों को आयुष्मान भारत योजना के अन्तर्गत

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेबसाइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान संचालित कर 05 लाख रुपये तक सूचीबद्ध चिकित्सालयों में इलाज कराने की व्यवस्था की गयी।
- (11) प्रदेश में विशेष संचारी रोग, दिमागी बुखार के कारण होने वाले मृत्यु दर में भारी कमी आयी। जे0ई0/ए0ई0एस0 रोग से बचाव का विशेष अभियान चलाकर टीकाकरण किया गया। समस्त जनपदों में रोटा वायरस वैक्सीन एवं मीजिल्स रूबेला वैक्सीन को नियमित टीकाकरण में शामिल करते हुए करोड़ों बच्चों का टीकाकरण किया गया। बाल मृत्यु में भारी कमी।
  - (12) अटल बिहारी बाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ की स्थापना। मा0 प्रधानमंत्री द्वारा 50 एकड़ भूमि में बनने वाले चिकित्सा विश्वविद्यालय का 25 दिसम्बर 2019 को शिलान्यास।
  - (13) प्रदेश के समस्त जनपदों के चिकित्सालयों में निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध तथा जनपदीय चिकित्सालयों में निःशुल्क सी0टी0 स्कैन सेवाएं उपलब्ध।
  - (14) 'प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना' के तहत अब तक 24.64 लाख लाभार्थियों को ₹0 890.84 करोड़ की धनराशि वितरित। नवजात शिशुओं की उचित देखभाल हेतु कंगारु मदर केयर योजना क्रियाशील।
  - (15) गरीबों के निःशुल्क इलाज हेतु मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा कोष का गठन।
  - (16) प्रदेश के समस्त मेडिकल कालेजों/संस्थानों में कोविड अस्पताल संचालित है, जिसमें कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों का निःशुल्क इलाज किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त 28 निजी मेडिकल कालेजों में भी कोविड रोगियों को निःशुल्क इलाज किया जा रहा है।
  - (17) कोविड सैम्पल की प्रतिदिन आरटीपीसीआर, डूनेट एवं एन्टीजन टेस्टिंग की जा रही है। इस हेतु चिकित्सा संस्थानों/मेडिकल कालेजों/कतिपय केन्द्रीय संस्थान तथा प्राइवेट मेडिकल कालेजों में भी निःशुल्क जांच की जा रही है।

### 32. कोविड-19 वैश्विक महामारी के बचाव हेतु प्रदेश सरकार द्वारा किये गये विशेष कार्य:-

- (1) एक दिन में 1.50 लाख से अधिक कोविड जांच करके उत्तर प्रदेश, देश का प्रथम राज्य बना।
- (2) मुख्यमंत्री हेल्प लाइन योजना के तहत 500 सीटों का एक कॉल सेन्टर लखनऊ में स्थापित, जिसके द्वारा वृहद रूप से कोविड-19 हेल्प लाइन के रूप में कार्य किया जा रहा है।
- (3) जी0एस0टी0 विभाग द्वारा कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत लॉकडाउन की अवधि में आमजन को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए प्रत्येक जनपद में डोर-टू-डोर डिलीवरी करने वाले व्यापारियों को चिन्हित करके सूची विभागीय वेबसाइट पर अपलोड की गई।

---

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।  
 2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेबसाइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- (4) गन्ना विभाग द्वारा कोविड-19 के अन्तर्गत कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु प्रदेश के 91 चीनी मिलों द्वारा सेनेटाइजर का उत्पादन करने के लिए सरकार ने लाइसेन्स दिये। मिलों द्वारा प्रतिदिन 5,98,000 ली० से अधिक सेनेटाइजर का उत्पादन किया जा रहा है। उत्पादित सेनेटाइजर का प्रदेश सहित देश के अन्य प्रदेशों में भी निर्यात किया जा रहा है।
- (5) पर्यटन विभाग द्वारा कोविड-19 के दृष्टिगत डिजिटल प्लेटफार्म सोशल मीडिया के माध्यम से पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु फेसबुक, ट्वीटर, इंस्टाग्राम एवं यू-ट्यूब पर प्रतियोगिता आयोजित कर उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थलों का प्रचार-प्रसार किया गया।
- (6) नगर विकास विभाग द्वारा कोविड-19 में लॉकडाउन के कारण दुकानें बन्द होने पर प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेण्डर्स "आत्म निर्भर स्वनिधि योजना" प्रारम्भ। जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय वित्तपोषित शहरी पथ विक्रेताओं को पुनः कार्य प्रारम्भ करने हेतु 07 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी पर 12 मासिक किश्तों पर 10 हजार रुपये का ऋण उपलब्ध।
- (7) वैश्विक कोरोना वायरस के देश और प्रदेश में फैलाव को रोकने के लिए मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने तत्काल संज्ञान लेकर प्रदेश स्तर पर अनुश्रवण हेतु उच्च स्तरीय अधिकारियों की टीम-11 का गठन कर प्रतिदिन समीक्षा।
- (8) पूरे देश के 20 राज्यों से 30प्र० के लगभग 37.68 लाख से अधिक प्रवासी श्रमिक/कामगारों को प्रदेश सरकार द्वारा भेजी गयी रेलगाड़ियों, बसों व अन्य साधनों से प्रदेश में सुरक्षित वापस लाये गये। अन्य प्रदेशों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को भी बसों भेजकर उनके गृह जनपद तक पहुंचाया गया।
- (9) प्रदेश के ईंट भट्ठा श्रमिकों को विशेष ट्रेनों से सकुशल उनके गृह प्रदेश भेजने की व्यवस्था की गई।
- (10) प्रधानमंत्री ने वैश्विक महामारी कोविड-19 के दृष्टिगत गरीबों के कल्याण के लिए 20 हजार करोड़ के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की। जिसके माध्यम से प्रदेश के गरीबों, श्रमिकों, पटरी दुकानदारों, प्रवासी श्रमिकों, कामगारों व जरूरतमंदों को मदद पहुंचायी जा रही है।
- (11) प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से गरीबों को छः बार मुफ्त अनाज दिया गया।
- (12) 30प्र० के श्रमिकों/निर्माण श्रमिकों, कामगारों ठेला, खोमचा, रहेड़ी लगाने वाले या दैनिक कार्य करने वाले सभी लोगों को 01-01 हजार रुपये का भरण-पोषण।
- (13) कोविड-19 के दौरान 03 करोड़ 56 लाख प्रधानमंत्री जन-धन खातों में 05-05 सौ रुपये की धनराशि भेजी गयी।

---

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेबसाइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- (14) अनुसूचित जाति के गरीब व्यक्तियों के सर्वांगीण विकास हेतु नवीन रोजगार छतरी योजना का शुभारम्भ एवं दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना के 3484 लाभार्थियों के खातों में 17 करोड़ 42 लाख रुपये की धनराशि अंतरित।
- (15) कार्यस्थल पर थर्मल स्कैनिंग, मास्क, सेनेटाइजर की व्यवस्था तथा सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करते हुए कार्य/निर्माण कार्य आदि लगातार जारी।
- (16) लाकडाउन के पश्चात प्रवासी/अप्रवासी श्रमिकों को उनकी आजीविका के लिए रोजगार उपलब्ध कराने हेतु अभियान चलाकर लोक निर्माण विभाग द्वारा 1,12,000 श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया गया।
- (17) सूक्ष्म, लघु, मध्यम एवं वृहद श्रेणी की 8,18,107 औद्योगिक इकाइयां क्रियाशील, जिनमें 51.78 लाख श्रमिक कार्यरत। प्रदेश में अद्यतन 4.32 लाख इकाइयों को आत्म निर्भर पैकेज के अन्तर्गत ₹0 10417 करोड़ ऋण वितरित। आत्म निर्भर स्वरोजगार सृजन अभियान में 3.69 लाख नई एमएसएमई इकाइयों को ₹0 13310 करोड़ के ऋण वितरण से लगभग 13.70 लाख नये रोजगार के अवसरों का सृजन। पीपीई किट/मास्क, दवा, मेडिकल उपकरण निर्माण की 414 इकाइयां क्रियाशील।
- (18) निर्माण कार्यों से जुड़े 18.25 लाख श्रमिकों, नगरीय क्षेत्र के 8.91 लाख तथा ग्रामीण क्षेत्र के 6.74 लाख निराश्रित श्रमिकों को 01-01 हजार रुपये प्रतिव्यक्ति के हिसाब से कुल 33.90 लाख व्यक्तियों को अब तक प्रथम किशत के रूप में कुल 339.02 करोड़ रुपये का वितरण। निर्माण कार्य से जुड़े हुए 17.14 लाख श्रमिकों को द्वितीय किशत का भी भुगतान।

**33. विशेष:- उत्तर प्रदेश देश में विभिन्न योजनाओं में नम्बर एक बना।**

- (1) प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत 14.61 लाख आवास बनाकर 30प्र0 का देश में प्रथम स्थान।
- (2) अटल पेंशन योजना के अन्तर्गत पंजीकरण करने में उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान।
- (3) प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के अन्तर्गत देश में अग्रणी।
- (4) सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों की स्थापना में 30प्र0 देश में प्रथम।
- (5) अयोध्या में छोटी दीपावली के दिन आयोजित दीपोत्सव कार्यक्रम में 04 लाख से अधिक दीप जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकार्ड में नाम दर्ज।
- (6) ई-टेन्डरिंग प्रणाली में 30प्र0 सरकार को सर्वोत्तम परफार्मेंस के लिए बेस्ट परफार्मेंस एवार्ड से सम्मानित।
- (7) कृषि निवेशों पर किसानों को देय अनुदान को डी0बी0टी0 के माध्यम से भुगतान करने वाला देश में 30प्र0 पहला राज्य बना।
- (8) किसानों के लिए बाजार को व्यापक बनाने के दृष्टिकोण से मण्डी अधिनियम में संशोधन करने वाला 30प्र0 देश का प्रथम राज्य। दुग्ध उत्पादन में 30प्र0 देश में प्रथम।

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेबसाइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- (9) गन्ना एवं चीनी उत्पादन में 30प्र0 का देश में लगातार प्रथम स्थान।
- (10) प्रदेश के 1.47 करोड़ परिवारों को उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन दिये गये।
- (11) 30प्र0 गत दो वर्ष में अभूतपूर्व प्रगति करते हुए सर्वाधिक चिकित्सा शिक्षण संस्थान स्थापित कर संचालित करने में पूरे देश में अग्रणी।
- (12) ग्रामीण स्वच्छ शौचालय निर्माण में 30प्र0 देश में प्रथम।
- (13) मानव वन्य जीव संघर्ष को आपदा घोषित करने वाला 30प्र0 प्रथम राज्य।
- (14) कौशल विकास नीति को लागू करने वाला 30प्र0 प्रथम राज्य।
- (15) ई-मार्केट प्लेस (जेम) के अन्तर्गत सर्वाधिक सरकारी खरीददारी करने वाला 30प्र0 देश का पहला राज्य बना।
- (16) प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में सर्वाधिक आवास निर्माण में 30प्र0 देश में प्रथम। पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल द्वारा डी0बी0टी0 के माध्यम से लाभार्थियों को धनराशि हस्तांतरित करने में देश में 30प्र0 का प्रथम स्थान।
- (17) राज्य स्वास्थ्य नीति लागू करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य।
- (18) वर्तमान सरकार के कार्यकाल में अब तक 105296 करोड़ रुपये का गन्ना किसानों को गन्ना मूल्य का भुगतान, जो एक रिकार्ड है।
- (19) सड़क व हवाई कनेक्टिविटी में सर्वश्रेष्ठ।
- (20) ईज आफ डूइंग बिजनेस में 30प्र0 को देश में द्वितीय स्थान प्राप्त। सूचनाओं के आदान-प्रदान एवं पारदर्शिता में 30प्र0 अग्रणी राज्य।
- (21) औद्योगीकरण के लिये भूमि उपलब्धता व आवंटन में 30प्र0 शीर्ष 5 राज्यों में शामिल। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों की स्थापना में प्रथम स्थान।
- (22) 30प्र0 देश का पहला राज्य है जिसे निर्भया फण्ड योजना के तहत चयनित किया गया है।
- (23) परिवहन निगम को लाभ होने पर सर्वश्रेष्ठ प्राफिट मेकिंग एस0टी0यू0 का राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार प्राप्त।
- (24) भारत सरकार द्वारा स्टार्टअप रैकिंग के तहत 30प्र0 को एस्पारिंग लीडर के रूप में सम्मानित किया गया।
- (25) वृक्षारोपण महाकुंभ के अन्तर्गत प्रदेश में इस वर्ष 25.87 करोड़ पौधों का रोपण करते हुए बना रिकार्ड।
- (26) 30प्र0 तिलहन उत्पादन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए देश में प्रथम स्थान प्राप्त।
- (27) मैनुअल चालान व्यवस्था समाप्त कर ई-पेमेन्ट से जुर्माना भुगतान की सुविधा हेतु ई-चालान व्यवस्था लागू कर 30प्र0 देश का पहला राज्य बना।

.....

- 
1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
  2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेबसाइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।